भारतीय कानून रिपोर्ट

माननीय बी. एस. नेहरा, जे. के समक्ष

सीएच. कतर सिंह, पूर्व वित्त मंत्री, *हरियाणा,- याचिकाकर्ता।*

बनाम

श्री हरि सिंह नलवा, एम. एल. **ए.** *हरियाणा,-प्रतिवादी।*

1991 की चुनाव याचिका संख्या 17।

7जनवरी, 1992।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951-एस. 33, 36, 81 और 83 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 - धारा 33, 36, 81 और 83 उम्मीदवार-प्रस्तावकों की ओर से दाखिल नामांकन पत्र गलत कॉलम पर हस्ताक्षरित-उम्मीदवार ने गलत कॉलम पर भी हस्ताक्षर किए-ऐसे नामांकन पत्रों की अस्वीकृति- 'क्या ऐसी अस्वीकृति वैध है ।

निर्णय दिया गया कि लियाकत और परमा नंद की ओर से प्रस्तावक के रूप में श्री चुहर सिंह के नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर करने में विफलता को प्रतीकों के रूप में घोषणा को पूरा करने में दोष नहीं कहा जा सकता है और इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि ये महत्वपूर्ण चरित्र के दोष नहीं हैं। जैसा कि नियमों के तहत परिकल्पित है। जैसा कि धारा 33 की उप-धारा (4) के प्रावधान के दूसरे भाग द्वारा परिकल्पित किया गया है, इन दोषों को गलत नाम, या गलत विवरण या लिपिकीय, तकनीकी या मुद्रण त्रुटि भी नहीं कहा जा सकता है और इसलिए, रिटर्निंग अधिकारी के पास न तो विवेक है। ताकि उम्मीदवार को इसे सही करने की अनुमति मिल सके और न ही वह इसे नज़रअंदाज कर सके।

(पैरा 17)

चुहर सिंह की ओर से नामांकन पत्र के दूसरे भाग पर हस्ताक्षर करने में विफलता अपने उम्मीदवार को सहमति देने और उसकी उम्र घोषित करने में उनकी ओर से विफलता के समान है।

(पैरा 18)

नामांकन पत्र के दूसरे भाग में उम्मीदवार की आयु के संबंध में घोषणा पर हस्ताक्षर न करने के कारण नामांकन पत्र में पर्याप्त त्रुटि हो गई है।

आर. एल. बट्टा, वरिष्ठ अधिवक्ता, जी. सी. तंगरी, अधिवक्ता और एस. के. पब्बी, अधिवक्ता के *साथ, याचिकाकर्ता की ओर से।*

जे. के. सिब्बल, वरिष्ठ अधिवक्ता (संजीव शर्मा, स्वामीजीत कोहली और नरेश जोशी, उनके साथ अधिवक्ता-प्रतिवादी *के लिए।*

निर्णय

एस. नेहरा, जे.

(1) क्या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) के तहत दायर एक चुनाव याचिका, जो वाद हेतुक किसी भी कारण का खुलासा नहीं करती है, सीमा पर खारिज होने के लिए उत्तरदायी है, इस मामले में निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण बिंदु है।विचाराधीन बिंदु का विश्लेषण करने के लिए आगे बढ़ने से पहले, इस मामले के प्रासंगिक तथ्यों को निर्धारित करना आवश्यक है।

(2)चुनाव याचिकाहरियाणा के पूर्व वित्त सीएच मंत्री कटार सिंह द्वारा दायर की गई है। (जिसे इसके बाद 'याचिकाकर्ता' के रूप में संदर्भित किया गया है) अधिनियम की धारा 100 के साथ पठित धारा 80-ए और 81 के तहत इस प्रार्थना के साथ कि श्री हरि सिंह नेलवा, प्रतिवादी (इसके बाद प्रतिवादी के रूप में संदर्भित) का चुनाव किया जाए। 18-समालखा निर्वाचन क्षेत्र से हरियाणा विधान सभा के सदस्य के रूप में (जिसका परिणाम 17 जून, 1991 को घोषित किया गया) धारा 100 (1) (सी) और 100 (1) (डी) (iii) के तहत अमान्य घोषित कर दिया गया था। और (iv) अधिनियम के. याचिकाकर्ता भारत का नागरिक है, और गांव पट्टी कल्याण, जिला करनाल में मतदाता के रूप में नामांकित है। यह गांव हरियाणा के समालखा विधानसभा क्षेत्र 18 में आता है। हरियाणा विधान सभा का चुनाव 20 मई, 1991 को हुआ था। याचिकाकर्ता और प्रतिवादी के अलावा अन्य लोगों ने 18-समालाखा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया था, जिसका मतदान 20 मई, 1991 को हुआ था। चुनाव परिणाम 17 जून, 1991 को घोषित किया गया। प्रतिवादी को सबसे अधिक वोट मिले और उसे निर्वाचित घोषित किया गया। याचिकाकर्ता और अन्य उम्मीदवारों को मिले वोट इस प्रकार थे:-—

(i) कुल मतदान किए गए मतः	74,586
((ii) अस्वीकृत मतः	3,961
(iii) निविदा किए गए मतः	14
((iv) च। किगतर सिंह कांग्रेस (आई):	22,479
(v) फूल वटी एसजेपीः	19,927
(vi) ओम प्रकाश भाजपाः	2,559
(vii) जय लाई एस/ओ देवी रामः	869
(viii) राम फलः	116
(ix) सत पाल "	112
(x) *सुरिंदर*	176
(xi) हरि सिंह नलवा	24,225

श्री चुहार सिंह ने भी 26 अपै्रल, 1991 को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। प्रथम नामांकन पत्र संख्या 72 में उक्त श्री चूहड़ सिंह के प्रस्तावक का नाम लियाकट था। इसी तरह नामांकन पत्र संख्या 73 की प्रति अनुलग्नक पी-2 उसी लियाकत द्वारा दाखिल किया गया दूसरा नामांकन था ,श्री चुहार सिंह के लिए। अनुलग्नक P-3 औरP-4 श्री चूहड़ सिंह के लिए श्री परमा नंद द्वारा दाखिल किए गए दो और नामांकन पत्रों की प्रतियां हैं ।उक्त नामांकन पत्र पर अभ्यर्थी एवं प्रस्तावक ने हस्ताक्षर किये थे. उनके अनुवाद अनुलग्नक पी-एल-ए से पी-4-ए हैं। रिटर्निंग ऑफिसर ने रुपये की रसीदें जारी की थीं। श्री चूहर सिंह द्वारा जमा की गई नकद सुरक्षा के कारण 250 रु. रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा उन्हें शपथ भी दिलायी गयी. वह (चूहर सिंह) अपने दो प्रस्तावकों, लियाकत और परमा नंद के साथ नामांकन पत्र दाखिल करने की तारीख पर रिटर्निंग ऑफिसर के सामने उपस्थित थे।वह एक पूर्व व्यक्ति है। एम.एल.ए., एक प्रसिद्ध सार्वजनिक व्यक्ति थे और रिटर्निंग अधिकारी भी उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते थे। नामांकन पत्रों की जांच 27 अप्रैल, 1991 को रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा की गई, लेकिन उन्होंने बिना कोई कारण बताए श्री चुहर सिंह के सभी चार नामांकन पत्रों को खारिज कर दिया।उसी तारीख, अर्थात 27 अप्रैल, 1991 को, इस निर्वाचन क्षेत्र के एक अन्य उम्मीदवार श्री चंदगी राम का नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया था, जिसमें रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा कारण दर्ज किए गए थे। याचिकाकर्ता का आरोप है कि उक्त नामांकन पत्र में अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (4) के संदर्भ में कोई महत्वपूर्ण दोष नहीं था। श्री चूहरसिंह ने अधिनियम की धारा 36(1) की आवश्यकताओं का पूरी तरह से पालन किया था। रिटर्निंग ऑफिसर ने मतदाता सूची में प्रासंगिक प्रविष्टियों और उनकी सत्यता के आलोक में श्री चुहर सिंह के विवरण के संबंध में खुद को पूरी तरह से संतुष्ट कर लिया था।

(3) यह भी आरोप लगाया गया है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने मतगणना के दौरान 18-समालाखा निर्वाचन क्षेत्र में आने वाले गांवों करकोली और बसोरा के 568 वोटों को अनुचित और अवैध रूप से खारिज कर दिया था। उन्होंने मतगणना की तिथि पर कुल 3,961 वोटों को अनुचित तरीके से खारिज कर दिया है। लगभग 3,000 वोटों को रिटर्निंग ऑफिसर ने इस आधार पर खारिज कर दिया कि मतपत्रों पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं पाए गए।
याचिकाकर्ता ने 17 जून 1991 को रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष आपत्तियां दायर की थीं। लेकिन उन्होंने 17 जून 1991 के आदेश के तहत याचिकाकर्ता की आपत्तियों को अवैध रूप से खारिज कर दिया। अधिकांश वैध मतपत्र याचिकाकर्ता के पक्ष में थे जिन्हें अनुचित तरीके से खारिज कर दिया गया और इस अस्वीकृति ने सफल उम्मीदवार श्री हरि सिंह नलवा के चुनाव परिणाम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। इसलिए, उनका चुनाव अधिनियम की धारा 100 (1) (डी) (iii) और (iv) के तहत शून्य घोषित किया जा सकता है।

(4)) प्रतिवादी को इस याचिका की सूचना जारी होने पर, उन्होंने आदेश 6 नियम 16 के तहत और सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के साथ पठित आदेश 7 नियम 11 के तहत एक आवेदन (सी.एम. संख्या 11-ई, 1991) दायर किया। आवेदन में कहा गया है कि याचिकाकर्ता के आरोप नामांकन पत्रों की अनुचित अस्वीकृति पर आधारित हैं और अधिनियम का उल्लंघन करते हुए वोटों की गिनती में भी कथित अनियमितताएं हैं । हालाँकि, चुनाव याचिका के पैराग्राफ 5, 6, 7, 8, 10, 11 और 12 अस्पष्ट, अनावश्यक, निंदनीय, तुच्छ और कष्टप्रद.हैं। इससे याचिका की निष्पक्ष सुनवाई में देरी होगी। इसलिए, ये पैराग्राफ सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 16 के प्रावधानों के अनुसार अभिवचनों से हटाए जाने योग्य हैं। पैराग्राफ 6, 7, 10 की सामग्री, 11 एवं 12 का उचित सत्यापन नहीं किया गया है। उचित सत्यापन के अभाव में याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। याचिका भी सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि यह कार्रवाई के किसी भी कारण का खुलासा नहीं करती है क्योंकि अधिनियम की धारा 83 के तहत निर्धारित भौतिक तथ्यों को कार्रवाई का कारण बनाने के लिए याचिका में वर्णित नहीं किया गया है। इसलिए, प्रतिवादी ने प्रार्थना की है (ए) कि पैराग्राफ 5, 6, चुनाव याचिका के 7, 8, 10, 11 और 12 को हटाया जाए और (बी) चुनाव याचिका चलने से पहले ही खारिज कर दी जाए परीक्षण क्योंकि यह कार्रवाई के किसी भी कारण का खुलासा नहीं करता है।

(5)) प्रतिवादी की उक्त आपत्ति याचिका के उत्तर में,याचिकाकर्ता ने इस बात से इनकार किया है कि पैराग्राफ 5, 6, 7, 8 की सामग्री, याचिका के 10, 11 और 12 अस्पष्ट हैं आदि। उन्होंने यह भी कहा कि ये पैराग्राफ बिना कोई कारण बताए रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा चूहड़ सिंह के नामांकन पत्रों को अनुचित रूप से अस्वीकार करने से संबंधित हैं।याचिकाकर्ता के अनुसार, पैराग्राफ 6, 7, 10, 11 और 12 को उचित रूप से सत्यापित किया गया है और इसके अलावा प्रतिवादी ने चुनाव याचिका की सुनवाई में देरी करने के लिए वर्तमान आवेदन दायर किया है और इसलिए, याचिकाकर्ता ने इसे खारिज करने की मांग की है।

इस प्रकार, चुनाव याचिका के अवलोकन से पता चलता है कि याचिकाकर्ता द्वारा 18-समालखा विधानसभा संघ के लिए प्रतिवादी के चुनाव पर हमला करते हुए दो मुद्दे उठाए गए हैं।पहला, यह आरोप लगाया गया है कि निर्वाचन अधिकारी ने कानून द्वारा आवश्यक कोई कारण दर्ज किए बिना श्री चुहार सिंह के नामांकन पत्रों को अनुचित तरीके से खारिज कर दिया था और इस तथ्य के बावजूद कि वह जानते थे कि श्री चुहार सिंह एक पूर्व एम. एल. ए. थे और दूसरा कि निर्वाचन अधिकारी ने 3961 मतों को अनुचित तरीके से खारिज कर दिया था। याचिकाकर्ता के अनुसार, यदि ये वोट खारिज नहीं किए गए होते, तो 3,000 वोटों का बहुमत उनके पक्ष में जाता और इस प्रकार उन्हें 18-समालाखा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचित घोषित किया जाता। दूसरी ओर, प्रतिवादी का मामला यह है कि भले ही चुनाव याचिका में दिए गए कथनों को स्वीकार कर लिया जाए, याचिका खारिज की जा सकती है क्योंकि याचिकाकर्ता के पक्ष में कार्रवाई का कोई कारण मौजूद नहीं दिखाया गया है। प्रतिवादी ने कहा है कि चूहड़ सिंह का नामांकन पत्र सही तरीके से खारिज कर दिया गया था और वोटों की गलत अस्वीकृति के संबंध में याचिका में दिए गए दावे इतने अस्पष्ट हैं कि उन्हें चुनाव याचिका में आजमाया नहीं जा सकता। पक्षों के

विद्वान वकील को काफी विस्तार से सुनने के बाद, मैंने पाया कि प्रतिवादी ने अपने आवेदन में आदेश 6 नियम 16 के तहत और आदेश 7 नियम 11 के तहत सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के तहत उठाई गई आपत्तियां उठाईं, जो कि ऊपर निर्धारित किए गए हैं, अच्छी तरह से स्थापित हैं और इसलिए उनके आवेदन को अनुमति दी जानी चाहिए और चुनाव याचिका को सीमा पर खारिज कर दिया जाएगा जैसा कि इसके बाद चर्चा किए गए कारणों के लिए देखा जाएगा (7) अधिनियम की धारा 83 (1) की सामग्री से संबंधित है चुनाव याचिका. इस धारा की उपधारा (1) में प्रावधान है कि एक चुनाव याचिका में उन भौतिक तथ्यों का संक्षिप्त विवरण होगा जिन पर याचिकाकर्ता भरोसा करता है। अधिनियम की धारा 86 एक चुनाव याचिका के मुकदमे से संबंधित है और इसकी उपधारा (1) में प्रावधान है कि उच्च न्यायालय उस चुनाव याचिका को खारिज कर देगा जो धारा 81 या धारा 82 या धारा 117 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करती है।यह सच है कि यह धारा याचिकाकर्ता द्वारा खंड (ए) के प्रावधानों का पालन करने में विफलता पर विशेष रूप से यह प्रावधान नहीं करती है अधिनियम की धारा 83 के तहत एक चुनाव याचिका भी खारिज की जा सकती है, लेकिन इसके तथ्यों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करने पर यह अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के आलोक में मामला छोड़ता है इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि याचिकाकर्ता, अधिनियम की धारा 83 (ए) के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहता है तो एक चुनाव याचिका भी खारिज की जा सकती है।

याचिकाकर्ता की पहली आपत्ति, जो चूहर सिंह के संबंध में दायर नामांकन पत्रों की कथित गलत अस्वीकृति से संबंधित है, से निपटने के लिए उक्त चार नामांकन पत्रों को पुनः प्रस्तुत करना और उनकी जांच करना आवश्यक है, जिनके अनुवाद पी-4-ए के संलग्नक पी-एल-ए हैंः

"अनुलग्नक पी-एल-ए
फॉर्म 2 बी अस्वीकार
(नियम 4 देखें)

नामांकन पत्र

एसडी/-
चूहर सिंह

हरियाणा विधानसभा के लिए चुनाव।

मैं समालखा विधानसभा क्षेत्र से विधान सभा के चुनाव के लिए उम्मीदवार *के* रूप में नामांकित करता हूं।

उम्मीदवार का *नाम चिलहर* सिंह, पिता का नाम श्री।सोरन।

उनका डाक पता *गाँव रोस्त नारायण।उप तहसील समालखा जिला।पानीपत।*

समालखा विधानसभा क्षेत्र में भाग संख्या 6 फुट की मतदाता सूची में धारा संख्या 603 में *उनका* नाम दर्ज किया गया है।

मेरा नाम लियाकत *है* और यह समालखा विधानसभा संविधान के लिए मतदाता सूची के भाग संख्या 4 में धारा संख्या 397 में दर्ज *किया* गया है।

तारीखः26अप्रैल।1991.

एसडी/- -
चूहर सिंह
(प्रोस्पर का हस्ताक्षर)

मैं, उपर्युक्त उम्मीदवार, इस नामांकन को मंजूरी देता हूं और एतद्द्वारा घोषणा करता हूंः—

a. कि मैंने 65 वर्ष की आयु पूरी कर ली है;
b. कि मैं जनता पार्टी द्वारा इस चुनाव में (स्थापित) हूँ;
c. कि मैंने जो प्रतीक चुने हैं, वे वरीयता के आदेश में हैं *(i) हल्धर* चक्कर (ii)_____ * (iii)।
d. हिंदी में मेरे और मेरे पिता के नामों का ठीक-ठीक *उल्लेख किया गया है।*

e. मेरी व्यक्तिगत जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं चुनाव की प्रक्रिया द्वारा हरियाणा विधानसभा को भरने में (योग्य) हूं और (अयोग्य) नहीं हूं।

(निर्वाचन अधिकारी द्वारा भरा जाना)

नामांकन पत्र की क्रम संख्या 72.

यह पुरस्कार मुझे दिया गया थाःउम्मीदवार/समृद्ध द्वारा 26 अप्रैल, 1991 (तिथि) को 0 (घंटे) पर ई-ऑफिस 1। तारीखः26अप्रैल, 1991।

एसडी/-

सेवानिवृत्त अधिकारी।26-4-91

18 समालखा विधानसभा

निर्वाचन क्षेत्र और

जिला।राजस्व अधिकारी पानीपत।

निर्वाचन अधिकारी का नामांकन पत्र स्वीकार करने या अस्वीकार करने का निर्णय।

1. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की खंड 36 के अनुसार इस नामांकन पत्र की जांच की है। 1951 और निम्नानुसार निर्णय लेंः

अस्वीकृत।

एसडी/- '

निर्वाचन अधिकारी

18 समालखा विधानसभा संविधान और जिला।

राजस्व अधिकारी, पानीपत।" तारीखः

संलग्नक पी-2-ए

फॉर्म 28

(नियम 4 देखें)

नामांकन पत्र

हरियाणा विधानसभा के लिए चुनाव।

मैं समालखा विधानसभा क्षेत्र से विधान सभा के चुनाव के लिए उम्मीदवार *के* रूप में नामांकित करता हूं।

उम्मीदवार का *नाम चुहार सिंह है।*

पिता का *नाम श्री सोरन*

उनका डाक पता *ग्राम डाकघर नारायण उप तहसील समालखा जिला।पानीपत।*

समालखा विधानसभा क्षेत्र के लिए भाग संख्या 66 मतदाता सूची में धारा संख्या 603 में उनका *नाम* दर्ज किया गया है।

मेरा नाम लियाकत है और इसे समालखा विधानसभा क्षेत्र के लिए चुनावी भूमिका के भाग संख्या 4 में धारा संख्या 397 में *दर्ज*किया गया है।

तारीखः26अप्रैल, 1991।

एसडी/-

चुहार सिंह (समृद्धि के हस्ताक्षर)

मैं, उपरोक्त उम्मीदवार, इस नामांकन को मंजूरी देता हूं और एतद्द्वारा घोषणा करता हूंः

a. कि मैंने 65 वर्ष की आयु पूरी कर ली है;

b. कि मैं जनता पार्टी द्वारा इस चुनाव में (स्थापित) हूँ;

c. कि जिन प्रतीकों को मैंने चुना है।वरीयता के आदेश में
1. हैदर चकर (ii)___ (iii)।___

d. मेरे और मेरे पिता के नाम का हिंदी में ठीक-ठीक उल्लेख किया गया है।

d. मेरी व्यक्तिगत जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं (योग्य) हूं और चुनाव की प्रक्रिया से हरियाणा विधानसभा के लिए (अयोग्य) नहीं हूं।

*1 आगे घोषणा करें कि मैं जाति/जनजाति का सदस्य हूँ
जो हरियाणा राज्य की एक अनुसूचित जाति/जनजाति है जो (क्षेत्र) 1 के संबंध___ में है।

तारीखः26अप्रैल, 1991।

(उम्मीदवार का हस्ताक्षर)
लियाकत

(निर्वाचन अधिकारी द्वारा भरा जाना)।

नामांकन पत्र की क्रम संख्या 73.

यह नामांकन मुझे एल में मेरे कार्यालय में दिया गया था।32 (घंटा) ओह 26 अप्रैल; 1991 (तिथि) उम्मीदवार/समृद्धि द्वारा, बेटः26अप्रैल, 1991।

एसडी/-
(एसडी.) रिटर्निंग-अधिकारी
18 समालखा विधानसभा संविधान और जिला।
राजस्व अधिकारी, पानीपत।

निर्वाचन अधिकारी का नामांकन पत्र स्वीकार करने या अस्वीकार करने का निर्णय।

(10) मैंने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की खंड 86 के अनुसार आर. टी. आई. सी. के नामांकन की जांच की है और निम्नलिखित निर्णय लिया हैः—

अस्वीकृत।
निर्वाचन अधिकारी
18 समालखा विधानसभा संविधान और जिला।राजस्व अधिकारी, पानीपत।
तारीखः

संलग्नक पी-3-ए

74

26अप्रैल, 1991

फॉर्म 2 बी
(नियम 4 देखें)
डोमिनेशन पेपर

हरियाणा विधानसभा के लिए चुनाव

मैं समालखा विधानसभा संविधान से विधान सभा के चुनाव के लिए उम्मीदवार *के* रूप में नामांकित करता हूं।

उम्मीदवार का नाम चुहार सिंह है।

पिता का नाम *श्री सोरन,*

उनका डाक पता ग्राम डाकघर नरयाना, उप *तहसील समालखा जिला।पानीपत।*

समालखा संविधान के लिए भाग संख्या 66 निर्वाचक सूची में क्रम संख्या 603 में उनका नाम *दर्ज*किया गया है।

मेरा नाम परमानंद *है* और इसे समालखा विधानसभा परिषद के लिए मतदाता सूची के भाग संख्या 63 में क्रम संख्या 133 *में*दर्ज किया गया है।

तारीखः26अप्रैल, 1991।

.एसडी/-
चूहर सिंह

(प्रोस्पर का हस्ताक्षर)

1. उपर्युक्त उम्मीदवार, इस नामांकन के लिए सहमति देता है और इसके द्वारा घोषणा करता हैः—

   a. कि मैंने 65 वर्ष की आयु पूरी कर ली है;

b. कि मैं जनता पार्टी द्वारा इस चुनाव में (स्थापित) हूँ

c. कि मैंने जो प्रतीक चुने हैं, वे वरीयता के आदेश में हैं *(i) I.Haldhar c* चकर ((ii) और (iii)।

d. हिंदी में मेरे और मेरे पिता के नामों का ठीक से उल्लेख किया गया है।

   e. मेरी व्यक्तिगत जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं चुनाव की प्रक्रिया द्वारा हरियाणा विधानसभा को भरने में (योग्य) हूं और (अयोग्य) नहीं हूं।

मैं आगे घोषणा करता हूँ कि मैं जाति/जनजाति का सदस्य हूँ।

जो उस राज्य में-- (क्षेत्र)> के संबंध में हरियाणा राज्य की एक अनुसूची जाति/जनजाति है।

तारीखः26अप्रैल, 1991।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

परमानंद

* यदि लागू नहीं होता है, तो इस अनुच्छेद को चिह्नित करें।

** लागू नहीं होने वाले शब्द को चिह्नित करें।

जी. एच. कर्तार सिंह, पूर्व। वित्त मंत्री, *हरियाणा* बनाम श्री हरि 11
सिंह नलवा, एम. एल. ए. हरियाणा (बी. एस. नेहरा, जे.)

(निर्वाचन अधिकारी द्वारा भरा जाना)

नामांकन पत्र की क्रम संख्या 74 है।

यह नामांकन मुझे मेरे कार्यालय में 1.34 (घंटे) पर दिया गया था।

26 अप्रैल, 1991 (तिथि) को उम्मीदवार द्वारा।
तारीखः26अप्रैल, 1991,

एसडी/-

निर्वाचन अधिकारी
18 समालखा विधानसभा संविधान और जिला।राजस्व अधिकारी, पानीपत।

निर्वाचन अधिकारी का नामांकन पत्र स्वीकार करने या अस्वीकार करने का निर्णय।

मैंने (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951) की खंड 36 के अनुसार इस नामांकन पत्र की जांच की है और निम्नलिखित निर्णय लिया हैः—

अस्वीकृत।

एसडी/-
निर्वाचन अधिकारी 18 समालखा विधानसभा संविधान और जिला.राजस्व अधिकारी, पानीपत।
तारीखः

संलग्नक पी-4-ए

75

26-4-1991.

अस्वीकार करें।
फॉर्म 2 बी

(नियम 4 देखें)

नामांकन पत्र
सरदार/- चूहर सिंह हरियाणा विधानसभा के लिए चुनाव

मैं समालखा विधानसभा से विधान सभा के चुनाव के लिए उम्मीदवार के *रूप* में नामांकित करता हूं।उम्मीदवार *का नाम* चुहार सिंह पिता का नाम श्री सोरन है।

उनका डाक पता *ग्राम डाकघर नरयाना, उप तहसील समालखा जिला।पानीपत।*

उनका नाम क्रम संख्या 603 में भाग संख्या, 66 इलेक्ट® में दर्ज किया गया है!समालखा विधानसभा संविधान के लिए रोल।

मेरा नाम पारिजिएटमड *है* और यह क्रम संख्या में दर्ज किया गया हैः133 ' समालखा विधानसभा के लिए मतदाता सूची के भाग संख्या *63* में।

तारीखः26अप्रैल, 1991,

एसडी/-

चुहार सिंह (समृद्धि के हस्ताक्षर)

1. उपर्युक्त उम्मीदवार, इस नामांकन के लिए सहमति देता है-और एतद्द्वारा घोषणा करता हैः—

a. कि मैंने 65 वर्ष की आयु पूरी कर ली है;

b. कि मैं हूँ।(स्थापित) जनता पार्टी द्वारा इस चुनाव में;

c. कि जिन प्रतीकों को मैंने चुना है।वरीयता के आदेश में
    1. हैदर चकर (2) और (3)।__

d. हिंदी में मेरे और मेरे पिता के नामों का ठीक-ठीक *उल्लेख किया गया है।*

d. मेरी व्यक्तिगत जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं चुनाव की प्रक्रिया द्वारा हरियाणा विधानसभा को भरने में (योग्य) हूं और (अयोग्य) नहीं हूं।

मैं आगे घोषणा करता हूँ कि मैं जाति/जनजाति का सदस्य हूँ।
जो उस राज्य में (क्षेत्र) के संबंध में हरियाणा राज्य की एक अनुसूची जाति/जनजाति है।

(उम्मीदवार के हस्ताक्षर) परमानंद

(वापसी द्वारा भरा जाना। अधिकारी)

नामांकन पत्र की क्रम संख्या 75 है।

यह नामांकन मुझे 26 अप्रैल, 1991 (तिथि) को मेरे कार्यालय में 1.36 (घंटे) पर उम्मीदवार द्वारा दिया गया था।
आहारः26अप्रैल, 1991।

एसडी/-

निर्वाचन अधिकारी

26-4-199जे.,

18 समालखा विधानसभा संविधान और जिला।राजस्व अधिकारी, पानीपत,

निर्वाचन अधिकारी द्वारा नामांकन स्वीकार करने या अस्वीकार करने का निर्णय।कागज।

मैंने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की खंड 36 के अनुसार इस नामांकन पत्र की जांच की है और निम्नानुसार निर्णय लिया हैः—

अस्वीकृत।

एसडी/-

सेवानिवृत्त अधिकारी,

18 समालखा विधानसभा संविधान और जिला।राजस्व अधिकारी, पानीपत।

तारीखः

11. जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, नामांकन पत्र अनुलग्नक पी-1 ए और प-2-ए चूहर सिंह के संबंध में एक श्री लियाकत द्वारा दायर किया जाना था, जबकि नामांकन पत्र अनुबंध पी-3-ए और पी-4-ए उक्त के संबंध में एक श्री परमा नंद द्वारा दायर किए गए थे। श्री चूहड़ सिंह. इन नामांकन पत्रों पर एक नजर डालने से पता चलता है ये दो भागों में हैं, अर्थात, पहला भाग जो आवश्यक है प्रस्तावक द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए और दूसरा भाग जो आवश्यक है उम्मीदवार द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। कानून की आवश्यकता के विपरीत, सभी चार नामांकन पत्रों में पहला भाग, प्रस्तावक द्वारा हस्ताक्षरित होने के बजाय, वास्तव में चूहड़ सिंह उम्मीदवार द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है, जबकि इन सभी नामांकन पत्रों में दूसरा भाग, जो होना आवश्यक था। उम्मीदवार द्वारा हस्ताक्षरित, प्रस्तावक द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है। इसे अलग ढंग से कहें तो यही एकमात्र अनुमान हो सकता है इन नामांकन पत्रों से पता चलता है कि यह श्री चुहर सिंह हैं जिन्होंने लियाकत को पहले दो नामांकन पत्रों और में प्रस्तावित किया है तीसरा और चौथा नामांकन पत्र में चूहड़ सिंह ने कापरमा नंद को प्रपोज किया है धिनियम के तहत बनाए गए चुनाव आचरण नियम नियम 4 के अनुसार प्रत्येक नामांकन पत्र को फॉर्म 2ए से 2ई में से किसी एक में भरना होगा जो उपयुक्त हो। अधिनियम की धारा 36 की उप-धारा (iv) के अर्थ के अंतर्गत, इस नियम में जोड़ा गया प्रावधान, हालांकि, बताता है कि फॉर्म 2 ए या फॉर्म 2 बी में नामांकन पत्र में प्रतीकों के बारे में घोषणा को पूरा करने में त्रुटि नहीं होगी। एक सारवान चरित्र का दोष माना जाएगा। इस परंतुक में केवल इतना कहा गया है कि नामांकन पत्र में प्रतीकों के संबंध में फॉर्म को पूरा करने में कोई त्रुटि पर्याप्त चरित्र का दोष नहीं माना जाएगा।

12) अब अधिनियम की धारा 33 का प्रासंगिक भाग हो सकता है

ध्यान दिया गया: इसमें लिखा है:

"(1) निर्धारित प्रपत्र में पूरा किया गया और उम्मीदवार द्वारा हस्ताक्षरित और प्रस्तावक के रूप में निर्वाचन क्षेत्र के एक निर्वाचक द्वारा हस्ताक्षरित एक नामांकन पत्र, धारा 31 के तहत जारी नोटिस में इस संबंध में निर्दिष्ट स्थान पर रिटर्निंग ऑफिसर को दिया जाएगा। के खंड (ए) के तहत नियुक्त तिथि से पहले धारा 30, ग्यारह बजे के बीच पूर्वाह्न और अपराह्न तीन बजे।

(4) नामांकन पत्र प्रस्तुत करने पर रिटर्निंग अधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि उम्मीदवार और उसके प्रस्तावक के नाम और मतदाता सूची संख्याएँ जो नामांकन पत्र में दर्ज की गई हैं वही है जो मतदाता सूची: में दर्ज किया गया है।

(बशर्ते कि कोई गलत नाम या गलत विवरण या स्पष्टीकरण न हो- उम्मीदवार या उसके प्रस्तावक या किसी अन्य व्यक्ति के नाम के संबंध में कैल, तकनीकी या मुद्रण संबंधी त्रुटि मतदाता सूची में उल्लिखित किसी भी स्थान के संबंध में या नामांकन पत्र में न हो। ऐसा कोई लिपिकीय, तकनीकी या मुद्रण , किसी भी मतदाता सूची संख्या के संबंध में त्रुटि मतदाता सूची या नामांकन पत्र में शामिल व्यक्ति मतदाता सूची या नामांकन के पूर्ण संचालन को प्रभावित करें-ऐसे व्यक्ति या स्थान के संबंध में राष्ट्र पत्र किसी में भी मामले में जहां के नाम के संबंध में विवरण व्यक्ति या स्थान ऐसा हो जिसे सामान्यतः समझा जा सके; और रिटर्निंग अधिकारी ऐसे किसी भी गलत नाम की अनुमति देगा ।

या गलत विवरण या लिपिकीय, तकनीकी या मुद्रण त्रुटि को सुधारा जाए और जहां आवश्यक हो, उसे निर्देशित करें ऐसे मिथ्यानाम, गलत विवरण, लिपिकीय, तकनीकी या मतदाता सूची या नामांकन में मुद्रण त्रुटि कागज़ को नज़रअंदाज कर दिया जाएगा।"

अधिनियम की धारा 36, जो की जांच से संबंधित है

नामांकन इस प्रकार है:

"36. नामांकनों की संवीक्षा,—(1) धारा 30 के अंतर्गत नामांकनों की संवीक्षा हेतु नियत तिथि पर अभ्यर्थी, उनके चुनाव एजेंट, प्रत्येक उम्मीदवार का एक प्रस्तावक, और प्रत्येक द्वारा विधिवत लिखित रूप से अधिकृत एक अन्य व्यक्ति उम्मीदवार, लेकिन कोई अन्य व्यक्ति ऐसे समय में उपस्थित नहीं हो सकता और स्थान जैसा कि रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त कर सकता है औररिटर्निंग अधिकारी धारा 33 में निर्धारित तरीके से सभी उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की जांच के लिए सभी उचित सुविधाएं देंगे, जो समय के भीतर वितरित किए गए हैं।

(2) रिटर्निंग अधिकारी तब नामांकन पत्रों की जांच करेगा और किसी भी नामांकन पर की गई सभी आपत्तियों पर निर्णय लेगा और या तो ऐसी आपत्ति पर या अपनी स्वयं की प्रेरणा से, ऐसी संक्षिप्त जांच के बाद, यदि कोई हो, जैसा कि वह आवश्यक समझे, निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर किसी भी नामांकन को अस्वीकार (अस्वीकार) कर सकता है: -

(ए) कि नामांकन की जांच के लिए निर्धारित तिथि पर

उम्मीदवार निम्नलिखित लागू प्रावधानों में से किसी के तहत सीट भरने के लिए चुने जाने के लिए या तो योग्य नहीं है या अयोग्य है, अर्थात्: -

अनुच्छेद 84, 102, 173 और 191, (इस अधिनियम का भाग 2 और धाराएँ

केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम की धारा 4 और 14,

1963 (1963 का 20), या

(बी) कि धारा 33 या धारा 34 के किसी भी प्रावधान का अनुपालन करने में विफलता हुई है; या

(सी) कि नामांकन पत्र पर उम्मीदवार या प्रस्तावक के हस्ताक्षर असली नहीं हैं।)

3) उप-धारा (2) के खंड (बी) या खंड (सी) में निहित किसी भी चीज़ को नामांकन पत्र के संबंध में किसी भी अनियमितता के आधार पर किसी भी उम्मीदवार के नामांकन को अस्वीकार करने के लिए अधिकृत नहीं माना जाएगा। यदि उम्मीदवार को किसी अन्य नामांकन के माध्यम से विधिवत नामांकित किया गया है जिसके संबंध में कोई अनियमितता नहीं की गई है।

(4) रिटर्निंग अधिकारी किसी भी दोष के आधार पर नामांकन पत्र को अस्वीकार नहीं करेगा जो पर्याप्त चरित्र का नहीं है।

(5) धारा 30 के खंड (बी) के तहत रिटर्निंग अधिकारी इस संबंध में नियुक्त तिथि पर जांच करेगा और कार्यवाही के किसी भी स्थगन की अनुमति नहीं देगा

सिवाय इसके कि जब ऐसी कार्यवाही दंगे या खुली हिंसा या उसके नियंत्रण से परे कारणों से बाधित या बाधित हो:

बशर्ते कि यदि कोई आपत्ति रिटर्निंग कार्यालय द्वारा उठाई जाती है या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की जाती है, तो संबंधित उम्मीदवार को अगले दिन से पहले नहीं बल्कि जांच के लिए निर्धारित तिथि के बाद इसका खंडन करने का समय दिया जा सकता है। रिटर्निंग अधिकारी उस तारीख पर अपना निर्णय दर्ज करेगा जिस दिन कार्यवाही स्थगित की गई है।

(6) रिटर्निंग अधिकारी प्रत्येक नामांकन पत्र पर उसे स्वीकार करने या अस्वीकार करने के अपने निर्णय का समर्थन करेगा और, यदि नामांकन पत्र खारिज कर दिया जाता है, तो ऐसी अस्वीकृति के लिए अपने कारणों का एक संक्षिप्त विवरण लिखित रूप में दर्ज करेगा।

(7) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, किसी संविधान के लागू होने के समय मतदाता सूची में एक प्रविष्टि की प्रमाणित प्रति इस तथ्य का निर्णायक सबूत होगी कि उस प्रविष्टि में निर्दिष्ट व्यक्ति उस संविधान के लिए एक निर्वाचक है। , जब तक कि यह साबित न हो जाए कि वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 16 में उल्लिखित अयोग्यता के अधीन है।

.

(8) सभी नामांकन पत्रों की जांच होने और उन्हें स्वीकार करने या अस्वीकार करने का निर्णय दर्ज किए जाने के तुरंत बाद, रिटर्निंग अधिकारी वैध नामांकित उम्मीदवारों की एक सूची तैयार करेगा, यानी, जिन उम्मीदवारों का नामांकन वैध पाया गया है और उसे चिपकाएगा। उसके'नोटिस बोर्ड पर।"

13. अधिनियम की धारा 33(1) के प्रावधान, जैसा कि ऊपर निकाला गया हैएक उम्मीदवार पर यह दायित्व डाला जाता है कि वह निर्धारित प्रारूप में पूरा नामांकन पत्र दाखिल करे और उस पर उम्मीदवार तथा प्रस्तावक के रूप में निर्वाचक द्वारा हस्ताक्षर किए जाएं। ऐसे नामांकन पत्रों की प्रस्तुति पर, रिटर्निंग अधिकारी को अधिनियम की उपधारा (4) धारा 33 के तहत संतुष्ट होना आवश्यक है, कि नामांकन पत्र में दर्ज उम्मीदवार और उसके प्रस्तावक के नाम और मतदाता सूची संख्या समान हैं। जैसा कि मतदाता सूची में दर्ज किया गया है। धारा 33 की उप-धारा (4) के परंतुक के दूसरे भाग के अनुसार, रिटर्निंग अधिकारी लिपिकीय, तकनीकी या मुद्रण त्रुटि के किसी भी गलत नाम या गलत विवरण को ठीक करने की अनुमति देने के लिए अधिकृत है और जहां आवश्यक हो, ऐसे किसी भी गलत नाम को सुधारने का निर्देश दे सकता है। , गलत विवरण या लिपिकीय, तकनीकी या मुद्रण त्रुटि को ठीक किया जाएगा और जहां आवश्यक हो, निर्देश दिया जाएगा कि मतदाता सूची या नामांकन पत्र में ऐसे किसी भी गलत नाम, गलत विवरण, लिपिकीय, तकनीकी या मुद्रण त्रुटि को नजरअंदाज किया जाएगा।

14. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री आर.एल. बट्टा ने तर्क दिया कि जैसा कि ऊपर देखा गया है, उम्मीदवार और उसके प्रस्तावक द्वारा गलत स्थानों पर नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर करना केवल गलत नाम या गलत विवरण या लिपिकीय प्रकृति का था। , तकनीकी या मुद्रण त्रुटि, जिसे या तो रिटर्निंग अधिकारी को उम्मीदवार को ठीक करने की अनुमति देनी चाहिए थी या उसे (रिटर्निंग अधिकारी) इसे नजरअंदाज कर देना चाहिए था। विद्वान वकील ने आगे आग्रह किया कि चूंकि रिटर्निंग अधिकारी श्री चुहर सिंह को पूर्व विधायक होने के नाते जानते थे। और इसके अलावा क्योंकि उन्होंने (चूहर सिंह) इन सभी नामांकन पत्रों पर शीर्ष पर भी हस्ताक्षर किए थे, रिटर्निंग अधिकारी को नामांकन पत्रों को खारिज करने के बजाय आपत्तियों को नजरअंदाज करना चाहिए था। विकल्प में, उन्होंने प्रस्तुत किया कि चार नामांकन पत्रों में ये त्रुटियां रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नामांकन पत्रों की अस्वीकृति को उचित ठहराने वाले पर्याप्त चरित्र के दोष नहीं हैं। इस संबंध में उनके तर्क का अंतिम पहलू यह था कि चूंकि रिटर्निंग अधिकारी नामांकन पत्रों को खारिज करते समय अधिनियम की धारा 36 की उप-धारा (6) के तहत कारण दर्ज करने में विफल रहे हैं, इसलिए चुनाव को शून्य माना जाना चाहिए और चुनाव उस आधार पर याचिका स्वीकार की गई।

(15) इसलिए, इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि क्या श्री चुहर सिंह द्वारा दाखिल किए गए चार नामांकन पत्रों में दोष को पर्याप्त चरित्र का दोष कहा जा सकता है। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, ये नामांकन पत्र स्पष्ट रूप से यह नहीं दिखाते हैं कि प्रस्तावकों ने श्री चुहर सिंह का नाम प्रस्तावित किया है और न ही ये दर्शाते हैं कि श्री चुहर सिंह ने नामांकन पत्रों पर सहमति व्यक्त की है और इन नामांकन पत्रों के दूसरे भाग में परिकल्पित घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं। याचिकाकर्ता के वकील ने एम. कमलम बनाम डॉ. वी.ए. सैयद मोहम्मद (1) पर भरोसा किया - इस मामले में, एक चुनाव याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा एक हलफनामे के अंत में हस्ताक्षर किए गए थे। तथा एक चुनाव याचिका पर याचिकाकर्ता द्वारा हस्ताक्षर नहीं किये गये थे। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि चुनाव याचिका में कोई दोष याचिका को खारिज करने का आधार नहीं बनता है। जाहिर है, यह निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है, क्योंकि इस मामले में जिस बात पर विचार किया जा रहा है, वह नामांकन पत्र को गलत तरीके से खारिज करने के संबंध में आपत्ति है, न कि अदालत में दायर चुनाव याचिका में एक हलफनामे पर अनुचित हस्ताक्षर के संबंध में। अगला भरोसा मथुरा प्रसाद बनाम अजीम खान (2) पर रखा गया है। शीर्ष न्यायालय की प्रासंगिक टिप्पणियाँ रिपोर्ट के पैरा 8 में निहित हैं। उसमें यह देखा गया है कि "यह सही है कि रिटर्निंग ऑफिसर को केवल तकनीकी या औपचारिक प्रकृति की गलती पर नामांकन पत्र को खारिज नहीं करना चाहिए, जहां उम्मीदवार की पहचान उसे उपलब्ध कराई गई सामग्री पर सुनिश्चित की जा सकती है। उसे संवीक्षा के समय उपस्थित अभ्यर्थी या उसके प्रतिनिधि को दोष दूर करने का अवसर भी देना चाहिए। हालाँकि, यदि न तो उम्मीदवार और न ही उसका प्रतिनिधि उपस्थित होता है और नामांकन पत्र में इस तरह की त्रुटि को दूर किए बिना उम्मीदवार की पहचान सुनिश्चित नहीं की जा सकती है। फिर रिटर्निंग ऑफिसर पर कोई वैधानिक कर्तव्य नहीं है कि वह अपने सामने रखी गई सामग्री की जांच करके जांच करे और ऐसे दोष को स्वयं दूर करे।" उस मामले में, रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया था क्योंकि उम्मीदवार की पहचान मतदाता सूची के अनुसार नहीं की गई थी और वह और उसका प्रतिनिधि दोनों अनुपस्थित थे। इसलिए, सुप्रीम कोर्ट के आधिपत्य ने माना कि रिटर्निंग अधिकारी पर संपूर्ण मतदाता सूची का अवलोकन करने का कोई कर्तव्य नहीं था और परिणामस्वरूप नामांकन पत्र की अस्वीकृति को वैध माना गया। यह मामला तथ्यों के आधार पर भी स्पष्ट रूप से अलग है। याचिकाकर्ता के वकील ने रंगीलाल ओहौधुरी बनाम दाहू साओ और अन्य (3) का हवाला दिया। उस मामले में,

तथ्य यह था कि "धनबाद निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधान सभा में एक रिक्ति को भरने के लिए, नामांकन पत्र दाखिल किया गया था। अपीलकर्ता उन उम्मीदवारों में से एक था जिन्होंने नामांकन पत्र दाखिल किया था। प्रस्तावक ने अपीलकर्ता को बिहार से चुनाव के लिए नामांकित किया था, न कि धनबाद विधानसभा क्षेत्र से। नामांकन सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए मुद्रित हिंदी फॉर्म पर किया गया था।

1) ए.आई.आर. 1978 एस.सी. 840।

<2) ए.आई.आर. 1990 एस.सी. 2274.

(3) ए.आई.आर. 1362 एस.सी. 1248

मुद्रित प्रपत्र लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत बनाए गए नियमों में हिंदी मुद्रित प्रपत्र के बिल्कुल अनुरूप नहीं था। नियमों में मुद्रित प्रपत्र के नमूने में शीर्षक के लिए उस राज्य का नाम आवश्यक था, जिसमें चुनाव हुआ था। वहां रिक्त स्थान भरा जाना चाहिए, लेकिन उम्मीदवार को दिए गए मुद्रित फॉर्म में राज्य का नाम पहले से ही शीर्षक में मुद्रित था और इसलिए रिक्त स्थान को निर्वाचन क्षेत्र के नाम से भरना पड़ा। इसलिए उम्मीदवार ने शीर्षक में रिक्त स्थान में निर्वाचन क्षेत्र का नाम भर दिया। इसके बाद प्रस्तावक ने फ्लोरम का अगला भाग भरा, जिसमें पांच कॉलम थे----' -, मुख्य भाग के बाद जिसमें कहा गया कि प्रस्तावक नामांकन करता है"। इन तथ्यों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि "इस पृष्ठभूमि में यह माना गया कि चुनाव एक उप-चुनाव था न कि आम चुनाव। और गलती मुद्रण फॉर्म में हुई, प्रस्तावक द्वारा फॉर्म भरने में की गई गलती पर्याप्त चरित्र की नहीं थी और यह बिल्कुल स्पष्ट था कि नामांकन धनबाद निर्वाचन क्षेत्र के लिए था", और, इसलिए, इसे अस्वीकार कर दिया गया इस आधार पर रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा नामांकन पत्र अनुचित था।

इस मामले के तथ्य भी इस न्यायालय के समक्ष मौजूदा मामले से स्पष्ट रूप से भिन्न हैं।

16. वहीं दूसरी ओर, प्रतिवादी के विद्वान वकील ने दृढ़तापूर्वक आग्रह किया कि श्री चूहर सिंह द्वारा दाखिल किए गए चार नामांकन पत्रों में से किसी को भी नामांकन पत्र नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि दोनों प्रस्तावकों, लियाकत और परमा नंद में से किसी को भी चूहर सिंह का प्रस्ताव नहीं दिया जा सकता है। न ही यह कहा जा सकता है कि नामांकन पत्र के दूसरे भाग में, श्री चूहर सिंह ने अपने नामांकन के लिए सहमति व्यक्त की है और विशेष रूप से नामांकन पत्र के दूसरे भाग के खंड (ए) में प्रदान की गई अपनी उम्र के संबंध में घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं। विद्वान वकील के तर्क पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, मैंने पाया कि यह उचित है।

17. लियाकत और परमा नंद द्वारा प्रस्तावक के रूप में श्री चुहर सिंह के नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर करने में विफलता को प्रतीक के रूप में घोषणा को पूरा करने में दोष नहीं कहा जा सकता है और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता जैसा कि नियम 4 के परंतुक में परिकल्पित है कि ये दोष पर्याप्त चरित्र के नहीं हैं। इन दोषों को गलत नाम, या गलत विवरण या लिपिकीय, तकनीकी या मुद्रण त्रुटि भी नहीं कहा जा सकता है और इसलिए जैसा कि धारा 33 की उपधारा (4) के प्रावधान के दूसरे भाग में परिकल्पित है। रिटर्निंग अधिकारी के पास न तो उम्मीदवार को इसे सही करने की अनुमति देने का विवेक था और न ही वह इसे नजरअंदाज कर सकता था। इन नामांकनों में खामियों को गलत नाम कहा जा सकता है, उदाहरण के लिए, चूहड़ सिंह को मतदाता सूची में चूहड़ राम के रूप में वर्णित किया गया था, लेकिन वह नामांकन पत्र में अपना नाम चूहड़ सिंह भरा था. उदाहरण के लिए, यदि चूहड़ सिंह, उसने स्वयं को चूहड़ सिंह के स्थान पर केवल चूहड़ बताया था, इसे एक गलत विवरण कहा जा सकता है। किसी भी तर्क से इन दोषों को परंतुक के अर्थ के भीतर लिपिकीय, तकनीकी या मुद्रण त्रुटियाँ नहीं कहा जा सकता है। वास्तव में यह निष्कर्ष अटल है कि चूहड़ सिंह निर्धारित फॉर्म में नामांकन पत्र पूरा करने में विफल रहे थे और इसी तरह उनके मतदाता भी कानून के अनुसार प्रस्तावक के रूप में फॉर्म में प्रासंगिक स्थान भरने में

विफल रहे थे। जैसा कि अधिनियम की धारा 33(1) द्वारा अपेक्षित है। केवल यह दावा करने के अलावा कि चूहड़ सिंह ने शीर्ष पर चार नामांकन पत्रों पर हस्ताक्षर किए थे और वह पूर्व विधायक होने के कारण रिटर्निंग अधिकारी को जानते थे, याचिकाकर्ता यह निष्कर्ष निकालने के लिए कोई भी भौतिक तथ्य प्रस्तुत करने में विफल रहा था कि रिटर्निंग अधिकारी ने नामांकन पत्र खारिज कर अवैधता की है।

18)यह ऊपर पाया गया है कि असफलता की ओर से चूहड़ सिंह का नामांकन पत्र के दूसरे भाग पर हस्ताक्षर करना उनकी उम्मीदवारी पर सहमति देने और अपनी उम्र घोषित करने में उनकी विफलता के समान है, जबकि कॉलम (ए) में यह कहा गया है कि उन्होंने 65 वर्ष पूरे कर लिए हैं। उम्र का। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, इस घोषणा पत्र पर चार घोषणा प्रपत्रों में लियाकत या परमा नंद द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं, चूहड़ सिंह द्वारा नहीं। इसलिए, निहितार्थ स्पष्ट है कि चूहड़ सिंह ने अपनी उम्र के संबंध में कोई घोषणा नहीं की है। बृजेन्द्रलाल गुप्ता और अन्य बनाम ज्वालाप्रसाद और अन्य (4) में, तथ्य यह थे कि एक उम्मीदवार ने नामांकन पत्र में अपनी उम्र के संबंध में घोषणा करना छोड़ दिया था। नामांकन पत्र की जांच के समय इस खामी का पता चला और परिणामस्वरूप रिटर्निंग ऑफिसर ने उनका नामांकन पत्र खारिज कर दिया. सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह था कि क्या ऐसे उम्मीदवार की ओर से नामांकन पत्र में अपनी आयु निर्दिष्ट करने में चूक दोष के समान है और यदि हां, तो क्या यह अधिनियम की धारा 36(4) के तहत पर्याप्त चरित्र का दोष है।रिपोर्ट के पैराग्राफ 10 में, उनके आधिपत्य ने देखा कि "इसमें कोई संदेह नहीं है कि उम्मीदवार की उम्र कितनी है उसकी पहचान जितनी महत्वपूर्ण है, और उम्मीदवार को अपनी आयु निर्दिष्ट करना आवश्यक है। निर्धारित प्रपत्र में उम्मीदवार की आयु के बारे में घोषणा को महत्व दिया गया है। जिस तरह नामांकन पत्र में उम्मीदवार का पूरा नाम और उसका मतदाता सूची नंबर होना चाहिए और जिस तरह नामांकन पत्र पर उम्मीदवार द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए जाने चाहिए, उसी तरह इसमें उम्मीदवार द्वारा अपनी उम्र के बारे में घोषणा भी शामिल होनी चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि उम्मीदवार की आयु के बारे में विवरण उम्मीदवार द्वारा अपने हस्ताक्षर के ऊपर दिया जाना आवश्यक है और इसे काफी हद तक इस संबंध में उसकी घोषणा के रूप में माना जाता है। निर्धारित नामांकन फॉर्म की आवश्यकता होने के कारण यह मानना मुश्किल है कि उम्र निर्दिष्ट करने में विफलता किसी महत्वपूर्ण चरित्र का दोष नहीं है। शीर्ष न्यायालय की इन टिप्पणियों पर भरोसा करते हुए यह निष्कर्ष अटल है कि नामांकन पत्र के दूसरे भाग में अपनी उम्र के संबंध में घोषणा पर हस्ताक्षर करने में चूहड़ सिंह की विफलता के कारण नामांकन पत्र में यह पर्याप्त चरित्र दोष उत्पन्न हो गया है।.

(19) विचारणीय अगला बिंदु यह है कि क्या प्रावधान अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (6) में निहित है, जिसकी आवश्यकता है कि रिटर्निंग अधिकारी एक संक्षिप्त बयान लिखित रूप में दर्ज करेगा किसी नामांकन पत्र को अस्वीकार करते समय उसका कारण बताना अनिवार्य है या महज़ निर्देशिका| निःसंदेह, इस उपधारा की भाषा से ऐसा प्रतीत होता है मानो रिटर्निंग अधिकारी के लिए नामांकन पत्र खारिज करते समय कारण दर्ज करना अनिवार्य था। उत्तर प्रदेश राज्य बनाम मनबोधन लाई श्रीवास्तव (5) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुपात पर भरोसा करते हुए, प्रतिवादी के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि मामले की परिस्थितियों में, उप-धारा (6) के प्रावधान अधिनियम की धारा 36 केवल निर्देशिका है और अनिवार्य नहीं है और इसलिए, रिटर्निंग अधिकारी की ओर से कारण दर्ज करने में विफलता का यह अर्थ नहीं लिया जा सकता है कि चूहड़ सिंह का नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया अवैध है या इसका चुनाव के परिणाम पर कोई भौतिक प्रभाव पड़ता है। मनबोधन लाई श्रीवास्तव के मामले (सुप्रा) में, सुप्रीम कोर्ट भारत के संविधान के अनुच्छेद 320 (3) (सी) के प्रावधानों पर विचार कर रहा था।इन प्रावधानों के तहत किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई करने से पहले लोक सेवा आयोग से पूर्व परामर्श की आवश्यकता होती है। उस मामले में, सरकार द्वारा प्रासंगिक मुद्दे पर लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के आधिपत्य के समक्ष प्रश्न यह था कि क्या संविधान के अनुच्छेद 320 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, इसे एक अनिवार्य प्रावधान या केवल एक निर्देशिका के रूप में माना जाना चाहिए। रिपोर्ट के पैरा 10 में, सुप्रीम कोर्ट के उनके आधिपत्य ने मॉन्ट्रियल स्ट्रीट रेलवे कंपनी बनाम नॉर्मंडिन (6) के मामले में प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति के फैसले का उल्लेख किया था, जिसका प्रासंगिक भाग नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है। :

5.ए. आई. आर. 1957 एस. सी. 912.

6.1917 ए. सी. 170 (बी)।

" "उस मामले में सवाल उठाया गया था कि क्या चूक हुई थी

क़ानून के निर्देशानुसार जूरी सूचियों को संशोधित करने का प्रभाव जूरी द्वारा दिए गए फैसले को रद्द करने का था। उनके आधिपत्य ने माना कि जूरी सूचियों के उचित संशोधन में अनियमितताएं, वास्तव में जूरी के फैसले को नहीं टालेंगी।

बोर्ड ने इस दौरान निम्नलिखित टिप्पणियाँ कीं*'

उनका निर्णय:

".....यह सवाल कि क्या किसी क़ानून में प्रावधान निर्देशिका हैं या अनिवार्य हैं, इस देश में बहुत बार उठता है, लेकिन यह कहा गया है कि कोई सामान्य नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है, और हर मामले में क़ानून का उद्देश्य अवश्य देखा जाना चाहिए इस विषय पर मामले मैक्सवेल ऑन स्टैट्यूट्स, 5वें संस्करण पृष्ठ 596 और निम्नलिखित पृष्ठों में एकत्र किए जाएंगे। जब किसी क़ानून के प्रावधान किसी सार्वजनिक कर्तव्य के पालन से संबंधित हों और मामला ऐसा हो कि इस कर्तव्य की उपेक्षा में किए गए कार्यों को अमान्य ठहराना गंभीर सामान्य असुविधा या व्यक्तियों के साथ अन्याय होगा जिनका कर्तव्य सौंपे गए लोगों पर कोई नियंत्रण नहीं है।और साथ ही विधायिका के मुख्य उद्देश्य को बढ़ावा नहीं मिलेगा, ऐसे प्रावधानों को केवल निर्देशिका के रूप में रखने की प्रथा रही है, उनकी उपेक्षा, हालांकि दंडनीय है, किए गए कृत्यों की वैधता को प्रभावित नहीं करती है।

20. इन अवलोकनों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि तत्काल मामले में, रिटर्निंग ऑफिसर एक सार्वजनिक कर्तव्य निभा रहा था। लेकिन मामला ऐसा है कि उसके द्वारा किए गए कृत्यों को अमान्य ठहराया जा सकता है अपने कर्तव्य की उपेक्षा गंभीर सामान्य असुविधा का कारण बनेगी क्योंकि पूरी चुनाव प्रक्रिया शून्य हो जाएगी और इससे उन लोगों के साथ अन्याय होगा जिनका कर्तव्य सौंपे गए लोगों पर कोई नियंत्रण नहीं है और साथ ही यह चुनाव के मुख्य उद्देश्य को बढ़ावा नहीं देगा। विधान मंडल। इसलिए, मैं यह मानने को इच्छुक हूं कि अधिनियम की धारा 36 की उप-धारा के प्रावधान निर्देशिका थे और अनिवार्य नहीं थे और इसलिए चूहड़ सिंह के नामांकन पत्र को खारिज करते समय रिटर्निंग अधिकारी की ओर से कारण दर्ज करने में विफलता हुई। इस मामले में चुनाव के परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इन कारणों से, चूहड़ सिंह के नामांकन पत्रों को कथित रूप से गलत तरीके से खारिज करने से संबंधित पहला बिंदु प्रतिवादी के चुनाव को शून्य घोषित करने के लिए किसी भी योग्यता से रहित पाया गया है। क्योंकि इस संबंध में याचिकाकर्ता कार्रवाई का कोई भी कारण बताने में विफल रहा है।

21. यह मुझे याचिकाकर्ता के विद्वान वकील के दूसरे तर्क पर ले जाता है कि रिटर्निंग अधिकारी ने कुछ वोटों को अनुचित तरीके से खारिज कर दिया था। इस संबंध में प्रासंगिक आरोप, चुनाव याचिका के पैरा 12 में निहित है और संक्षेप में बताने पर, इसमें निपटाए जाने वाले तीन भाग शामिल हैं। पहला भाग करकोली और बसेरा गाँवों के 5611 वोटों को कथित रूप से अवैध रूप से अस्वीकार करने से संबंधित है; दूसरा भाग गिनती की तारीख पर 3961 वोटों की अनुचित अस्वीकृति से संबंधित है।

तीसरा भाग रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा 3,000 वोटों को गलत तरीके से खारिज करने से संबंधित है, जिसमें से याचिकाकर्ता का दावा है कि इनमें से अधिकांश वोट उसे मिले होंगे। याचिकाकर्ता द्वारा इस संबंध में कोई ठोस तथ्य नहीं दिया गया है कि ग्राम करकोली और बसेरा के 568 वोटों को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा गलत तरीके से कैसे खारिज कर दिया गया और न ही गिनती की तारीख पर 3961 वोटों को गलत तरीके से खारिज कर दिया गया। याचिकाकर्ता यह भी बताने में सक्षम नहीं है कि अगर उसके वोट रिटर्निंग अधिकारी द्वारा खारिज नहीं किए गए होते तो क्या होता। दूसरे शब्दों में, वह यह दिखाने के लिए भौतिक तथ्य प्रस्तुत करने में विफल रहे कि ये वोट उनके पक्ष में पड़ सकते थे। एकमात्र बिंदु जिस पर गंभीरता से विचार किया जा सकता है, वह रिटर्निंग अधिकारी द्वारा कथित तौर पर 3,000 वोटों को खारिज करने के संबंध में आरोप है, जिसमें से याचिकाकर्ता का दावा है कि

उसे अधिकांश वोट मिले होंगे। सरल अंकगणित के अनुसार, 3,000 वोटों का बहुमत 1,501 वोटों पर आएगा और इस संदर्भ में, जो कहा जा सकता है वह यह है कि याचिकाकर्ता का दावा है कि उसे उक्त 3,000 वोटों में से 1,501 वोट मिले होंगे। अगर इसे गलत तरीके से खारिज नहीं किया गया होता| याचिका के पैरा 4 में दिए गए कथनों से संकेत मिलता है कि याचिकाकर्ता को 22,479 वोट मिले थे, जबकि प्रतिवादी, जिसे इस चुनाव में सफल घोषित किया गया था, को 24,225 वोट मिले थे। इस तरह 1,746 का मार्जिन रहा; वे वोट जिनसे प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता के खिलाफ चुनाव जीता था। इस प्रकार, भले ही 1,501 वोट, जिसके बारे में याचिकाकर्ता, अनुमान के आधार पर दावा करता है कि उसने कथित तौर पर गलत तरीके से खारिज किए गए 3,000 वोटों में से हासिल किया होगा, वह फिर भी चुनाव नहीं जीत पाते क्योंकि प्रतिवादी के खिलाफ वोटों का अंतर 1,501 वोटों से कहीं अधिक था। इस प्रकार, दूसरे बिंदु पर भी, याचिकाकर्ता भौतिक तथ्य प्रस्तुत करने में विफल रहा है कि कैसे रिटर्निंग अधिकारी ने इन 3,000 वोटों को खारिज करने में अवैध तरीके से काम किया था। हरद्वारी लाई बनाम कंवल सिंह (7) में, सुप्रीम कोर्ट ने यह माना था कि धारा 87 के आधार पर, हालांकि अधिनियम की धारा 86 के तहत नहीं। एक चुनाव याचिका, जिसमें कार्रवाई का कारण प्रस्तुत करने के लिए भौतिक तथ्य नहीं दिए गए हैं, खारिज की जा सकती है।

22.धरतीपाकर मदन लाल अग्रवाल बनाम श्री राजीव गांधी (8), (रिपोर्ट के पैरा 14) में शीर्ष न्यायालय द्वारा यह माना गया है कि "धारा 83 प्रदान करने में एक अनिवार्य प्रावधान देता है कि एक चुनाव याचिका में भौतिक तथ्यों का संक्षिप्त विवरण होगा और भ्रष्ट आचरण का पूरा विवरण दिया जाएगा। दलीलों को धारा 83 द्वारा विनियमित किया जाता है और यह चुनाव याचिकाकर्ता के लिए प्रत्येक भ्रष्ट आचरण के अपेक्षित तथ्य, विवरण और विवरण सटीकता के साथ देना अनिवार्य बनाता है। यदि चुनाव याचिका अधिनियम की धारा 100 के तहत कोई आधार बनाने में विफल रहती है तो इसे प्रारंभिक स्तर पर ही विफल हो जाना चाहिए। "कानून का जोर मछली पकड़ने और घूमने की पूछताछ से बचने पर है।" इस मामले की रिपोर्ट के पैरा 11 में, उनके आधिपत्य ने माना कि दलीलें सटीक, विशिष्ट और स्पष्ट होनी चाहिए और यदि चुनाव याचिका कार्रवाई के कारण का खुलासा नहीं करती है, तो इसे तुरंत खारिज कर दिया जाना चाहिए। यदि चुनाव याचिका में शामिल आरोप अधिनियम की धारा 100 के अनुसार चुनौती का आधार निर्धारित नहीं करते हैं और यदि आरोप अधिनियम की धारा 81 और 83 के नियमों के अनुरूप नहीं हैं, तो दलीलें रद्द कर दी जाएंगी। और चुनाव याचिका खारिज होने योग्य है। यदि दोषपूर्ण दलीलों को खारिज करने के बाद न्यायालय को पता चलता है कि कार्रवाई का कोई कारण नहीं बचा है तो आदेश VII, आर. 11, सिविल पी.सी. के तहत याचिका को खारिज करना उसका कर्तव्य होगा। यदि मुकदमा शुरू होने से पहले कोई प्रारंभिक आपत्ति उठाई जाती है, तो अदालत उस पर विचार करने के लिए बाध्य है, उसे मुकदमे के अगले चरण के लिए विचार को स्थगित करने की आवश्यकता नहीं है। उधव सिंह बनाम माधव राव संडदिया (9) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि "सभी प्राथमिक तथ्य जिन्हें परीक्षण में साबित किया जाना चाहिए कार्रवाई के कारण या उसके बचाव के अस्तित्व को स्थापित करने के लिए, वे सभी तथ्य भौतिक तथ्य हैं जो याचिकाकर्ता को कार्रवाई के संपूर्ण कारण से परिचित कराने के लिए आवश्यक हैं, वे भौतिक तथ्य हैं जिनका अनुरोध किया जाना चाहिए और एक भी भौतिक तथ्य का समर्थन करने में विफलता यह धारा 83(1)(ए) के आदेश की अवज्ञा है।

इन टिप्पणियों का याचिका खारिज करने के मौजूदा मामले पर सीधा असर पड़ता है।

(23) प्रतिवादी द्वारा उठाई गई आपत्तियों को सही ठहराते हुए उनका आवेदन सी.एम. 1991 की संख्या 11-ई, यह माना जाता है कि याचिकाकर्ता 20 मई, 1991 को हुए 18-समालखा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव को रद्द करने के लिए कार्रवाई के किसी भी कारण का खुलासा करने में विफल रहा है। तदनुसार सी.एम. 1991 की संख्या 11-ई की अनुमति दी जाती है और परिणामस्वरूप चुनाव याचिका को प्रारंभिक सीमा पर खारिज कर दिया जाता है। पार्टियों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया गया है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अँग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

Checked By:
Prerna Arya
Trainee Judicial Officer
Chandigarh Judicial Academy,
Chandigarh